न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास अनिल गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 28/17 विविध 2017/00200

डी.सी.बी.बैंक लिमिटेड पता एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टावर, हवा सडक, सिविल लाईन जयपुर (राज.) अधिकृत प्रतिनिधि सिद्धार्थसिंह

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री अमराराम जाति ब्राहम्मण निवासी पट्टा सं. 1712, ख.नं. 98/95/2/1 ओल्ड एण्ड 7 न्यू ग्राम नोखा मण्डी, तहसील नोखा जिला बीकानेर दूसरा पता 171, वार्ड नं. 5 नोखा मण्डी तहसील नोखा कानपुरा बस्ती नोखा जिला बीकानेर (ऋणी)
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. अमराराम जाति ब्राहम्मण निवासी पट्टा सं. 1712, ख.नं. 98/95/2/1 ओल्ड एण्ड 7 न्यू ग्राम नोखा मण्डी, तहसील नोखा जिला बीकानेर दूसरा पता 171, वार्ड नं. 5 नोखा मण्डी तहसील नोखा कानपुरा बस्ती नोखा जिला बीकानेर
3. ममता पत्नी श्री ..... निवासी पट्टा सं. 1712, ख.नं. 98/95/2/1 ओल्ड एण्ड 7 न्यू ग्राम नोखा मण्डी, तहसील नोखा जिला बीकानेर दूसरा पता 171, वार्ड नं. 5 नोखा मण्डी तहसील नोखा कानपुरा बस्ती नोखा जिला बीकानेर
4. श्री मूलचन्द भार्गव पुत्र स्व. श्री अमराराम निवासी पट्टा सं. 1712, ख.नं. 98/95/2/1 ओल्ड एण्ड 7 न्यू ग्राम नोखा मण्डी, तहसील नोखा जिला बीकानेर दूसरा पता 171, वार्ड नं. 5 नोखा मण्डी तहसील नोखा कानपुरा बस्ती नोखा जिला बीकानेर (सह ऋणी)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः–

1 प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री कंवरलाल शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं।

: आ दे श :

दिनांक 31.10.2017

1. प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थीगण/ऋणी** को **दिनांक 15.09.14** को **4,00,000/– की राशि** ऋण सुविधा के तौर पर उपलब्ध करवाई थी। उक्त ऋण की एवज में **अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पट्टा नं. 1712 खसरा नम्बर 98/95/2/1 ओल्ड एण्ड 7 न्यू ग्राम नोखा मण्डी तहसील नोखा तादादी 3263.5 वर्गफीट** को प्रार्थी **बैंक** के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। **अप्रार्थी** द्वारा **प्रार्थी बैंक** के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते को **दिनांक 01.10.16 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते में **रूपये 4,26,750.58/– दिनांक 05.10.16 तक** ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे **बैंक** के विरूद्ध बकाया निकलते है। **अप्रार्थी/ऋणी** के ऋण खाते को **एन.पी.ए.** घोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** को दिनांक **05.10.2016** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना–पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **बैंक** को दिया गया। प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि **अप्रार्थी/ऋणी/ जमानती** द्वारा प्रार्थी **बैंक** के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी **बैंक** को दिलाया जावे। प्रार्थी **बैंक** द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से किसी के उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. **प्रार्थी/बैंक** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थी/ऋणी अपनी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थी/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अपनी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी **बैंक** के यहां से **ऋण** के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थी/ऋणी/ जमानती द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीपक्ष/ऋणी/जमानती को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपनी बकाया ऋण राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में प्रार्थी बैंक द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में धारा 14 प्रावधानों के अंतर्गत शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीपक्ष, प्रार्थी बैंक के यहां से प्राप्त ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थीपक्ष की पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी बैंक के यहां बंधक में है को प्रार्थी बैंक अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी बैंक का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप **अप्रार्थीगण/ऋणी महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. अमराराम जाति ब्राहम्मण आदि** प्रार्थी/**बैंक** के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः **अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानती** को व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/**बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/**बैंक** को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/**बैंक** के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। **इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक अपने स्तर पर अप्रार्थीपक्ष को देंवे।**

6. न्याय हित में उक्त आदेश दिनांक **30.11.17** तक प्रभावशील नहीं रहेगा। इस अवधि के दौरान अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर अपनी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा करवा देते है तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त होना माना जायेगा, अगर दिनांक **30.11.17** तक अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर अपनी बकाया राशि जमा करवाने में विफल रहते है तो उक्त आदेश दिनांक **01.12.17** से स्वतः प्रभावशील माना जायेगा।

7. आदेश आज दिनांक **31.10.2017** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट एव
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर